



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)


क्रमांक-एफ(28)परांवि/एसीआर/चैनल/2006/ 154 जयपुर, दिनांक- 8-10-2021

—: परिपत्र :-

जिला कलक्टर समस्त/  
अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद समस्त/  
विकास अधिकारी  
पंचायत समिति समस्त


जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारियों के प्रशासक काल की अवधि में वार्षिक कार्य गुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी निम्नानुसार होंगे।

अधिकारी का नाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी	विकास अधिकारी
प्रतिवेदक अधिकारी	जिला कलक्टर	जिला कलक्टर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

  
( पी.सी.किशन )  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव , प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव , शासन सचिव , पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव , निदेशक , पंचायतीराज विभाग।
4. एसीपी , विभाग मुख्यालय को वेबसाइट पर डालने हेतु।

  
( विजय पाल/सिंह )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)